



प्रिय साथियों,

हिंदी दिवस के पावन अवसर पर आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया, तो इसके प्रति संवैधानिक व प्रशासनिक उत्तर दायित्व और अधिक बढ़ गया। इसकी स्मृति में भारत सरकार प्रतिवर्ष 14 सितंबर को 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाती है।

राजभाषा हिंदी अब संपर्क भाषा और विश्वभाषा के रूप में भी अपने अस्तित्व का प्रभावकारी विस्तार कर रही है। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग पहले की तुलना में अब कई गुना बढ़ गया है। प्रसार भारती ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से हिंदी को घर-घर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मेरी आप सबसे अपील है कि हिंदी में मौलिक कार्य बढ़ाएं तथा हिंदी में टिप्पण व पत्राचार को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दें। कठिन हिंदी शब्दों के बजाय सरल एवं सहज हिंदी का प्रयोग हिंदी की व्यापक पहुंच एवं प्रचार में सहायक साबित होगा। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम (12) के अनुसार सभी आकाशवाणी एवं दूरदर्शन कार्यालयों के प्रमुखों का यह उत्तरदायित्व है कि वे राजभाषा अधिनियम, नियम तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग से जारी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सभी अपने संवैधानिक और नैतिक दायित्व का पालन करने का संकल्प लें।

जय हिंद !


(गौरव द्विवेदी)



Akashvani

भारत का लोक सेवा प्रसारक | India's Public Service Broadcaster

Prasar Bharati House

Tower 'C', 2nd Floor, Copernicus Marg, Mandi House, New Delhi - 110 001

Tel. : 011-23118803

E-mail : ceo@prasarbharati.gov.in • Website : www.prasarbharati.gov.in



सत्यम् शिवम् सुन्दरम्
Doordarshan